



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-14082026-275487
CG-CG-E-14082026-275487

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4312]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948

No. 4312]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)
अधिसूचना

बिलासपुर, 12 अगस्त, 2026

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20 ड के अंतर्गत सूचना

का.आ. 4492(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) कि धारा 20 क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 16 जनवरी, 2026 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) की अधिसूचना संख्या का आ. 220, 07 जनवरी, 2026 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को महाराष्ट्र राज्य के गडचिरोली जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वडसा गडचिरोली नई रेलवे लाईन परियोजना (49.5 कि.मी.), के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् गडचिरोली पत्रिका महासागर (गडचिरोली संस्करण) तारीख 24 फरवरी 2026 एवं चौडेष्चरी दर्शन (गडचिरोली संस्करण) तारीख 24 फरवरी, 2026 को प्रकाशित किया गया था।

और सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त हुए थे; सक्षम अधिकारी द्वारा उन आक्षेपों की सुनवाई की गयी एवं उक्त अधिनियम की धारा 20घ के अनुसरण में आदेश पारित कर दिये गए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उपाबद्ध अनुसूची भूमि विनिर्दिष्ट भूमि पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

अतः यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के गडचिरोली जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् वडसा गडचिरोली नई लाईन परियोजना (49.5 कि.मी.) के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

वडसा गडचिरोली नविन रेल्वे लाईन प्रकल्प

अ. कं.	जिले का नाम	तहसिल	गाव का नाम	खातेदार का नाम व पता	सर्व्हे कमांक	7/12 आराजी चौ.मी.	संपादन खालील क्षेत्र चौ. मी. जेएमआर नुसार	शिल्लक क्षेत्र चौ. मी.
1	2	3	4	5	6	8	9	9
मौजा – वडसा								
1	गडचिरोली	देसाईगंज	वडसा	निलकंठ गणपत पोपटे	182 / 1 / अ / 1	1645.00	203.05	1441.95
2				रमेश ठुमकराम भरणे	183 / 3	336.00	39.97	296.03
	कुल						243.02	

अ. क.	जिले का नाम	तहसिल	गाव का नाम	खातेदार का नाम व पता	सर्व्हे कमांक	7/12 आराजी चौ.मी.	संपादन खालील क्षेत्र चौ.मी. जेएमआर नुसार	शिल्लक क्षेत्र चौ. मी.
1	2	3	4	5	6	8	9	9
मौजा – नैनपुर								
1	गडचिरोली	देसाईगंज	नैनपुर	प्रिया किशन नागदेवे	168 / 169 / 655 / 6	151.45	41.71	109.74
	कुल						41.71	

[फा. सं. सीएओ/सी/बी.एस.पी./वडसा-गडचिरोली/गडचिरोली जि./देसाईगंज/20 ड/05]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 12th August, 2026

Notice under Section 20E of the Railway Act, 1989

S.O. 4492(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (South East Central Railway), number S.O. 220 (A), dated the 7 January, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-ii, section 3, Sub-section (ii), dated the 16 January, 2026 and issued under sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (here in after referred as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely “Wadsa – Gadchiroli New Rail line (49.50 KM) Project” in Gadchiroli District in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, Mahasagar (Gadchiroli Edition) of dated 24th February, 2026 & Chaundeshwari darshan (Gadchiroli Edition) of dated 24th February, 2026 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received; Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of section 20 D of the said act;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in the pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Govt. hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project namely, Wadsa - Gadchiroli new Rail line (49.50Km) in Gadchiroli District in the State of Maharashtra :-

Village –Wadsa

Sl. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Name of Account holder & Address	Survey Number	Total area as per 7/12 (Sqm)	Acquisition Area in (Sqm.)	Balance Area in (Sqm)
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Gadchiroli	Desaiganj	Wadsa	Nilkanth Ganpat Popate	182/1/A/1	1645.00	203.05	1441.95
2				Ramesh Thumakram Bharane	183/3	336.00	39.97	296.03
Total							243.02	

Village –Nainpur

Sl. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Name of Account holder & Address	Survey Number	Total area as per 7/12 (Sqm)	Acquisition Area in (Sqm.)	Balance Area in (Sqm)
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Gadchiroli	Desiaganj	Nainpur	Priya Kishan Nagdeve	168/169/655/6	151.45	41.71	109.74
Total							41.71	

[F. No. CAO/C/BSP/Wadsa-Gadchiroli/Gadchiroli District/Desaiganj/20E/5]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Con).